

142
15

पत्रावली का लोक अदालत में ~~आप प्रत्यक्ष~~
निस्तारण नहीं हो सका/पत्रावली वास्ते
मुद्दा नं०... दि० 6.10.15 को पेश हो।

अध्यक्ष एवं उप खण्ड अधिकारी
लोक अदालत (रामगढ़) अलवर

6/10/15
वादी के वकील/बकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी
... है। पेश किया
नकल दिलाई गई। वास्ते... पत्रावली
दिनांक 8/10/15 को पेश हो।

रीडर

8.12.15
वादी के वकील/बकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी
... है। पेश किया
नकल दिलाई गई। वास्ते... पत्रावली
दिनांक 2.2.16 को पेश हो।

रीडर

2/2/16
वादी के वकील/बकुलाय उपस्थित/वकीलों का कार्य
समाप्त है। पेश किया, नकल दिलाई
गई। वास्ते... दिनांक... को पेश हो।

5/4/16
वादी के वकील/बकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी
... है। पेश किया
नकल दिलाई गई। वास्ते... पत्रावली
दिनांक... को पेश हो।

रीडर

27/6
16. पत्रावली शहर लोक अदालत
कोर्ट आठ वर माधुपुर में
पेश हुई। वास्ते पत्रावली उप

Ms F 1755
लक्ष्मी

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उच्च अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला-अलवर

बनाम

क्र.सं. मुकदमा..... रि.सि. 212 नं. 2/ सन्.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	----------------------------------	--

शुक्रवार 10th Dec में खारिज हो चुका है। जो पत्र रि.सि. 212 खारिज हो चुका है। पत्र की शिर्षक शुक्रवार को खारिज पत्र है।

अध्यक्ष एवं उप खण्ड अधिकारी
उच्च अदालत (रामगढ़) अलवर

सदस्य
उच्च अदालत
रामगढ़ (अलवर)